



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली

दिनांक 26.10.2025

थाना बिनौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर बरामद हुए हैं ।



उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 350/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाइसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए । यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त विकास उर्फ टल्ली का आपराधिक इतिहास -

1-मु0अ0सं0 143/22 धारा 308/323/325 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 37/24 धारा 323/354/354ख/427/452/504/506 भादवि व 3(2)VA) एससीएसटी एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 150/23 धारा 379 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।

4-मु0अ0सं0 350/25 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

विकास उर्फ टल्ली पुत्र बलवान निवासी ग्राम जिवाना गुलियान थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण-

- एक अवैध तमंचा .315 बोर मय 02 जिन्दा कारतूस .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री नीलकान्त सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

2-है0का0 720 यशपाल सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

3-का0 07 जीत सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

4-का0 1115 राहुल तिवारी थाना बिनौली जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली दिनांक- 26.10.2025

थाना बिनौली पुलिस ने 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे चोरी की हुई 01 मोटरसाईकिल (जली हुई) बरामद ।

सक्षिप्त विवरण/कार्यवाही-

दिनांक 25.10.2025 को थाना बिनौली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति अपने ताऊ के खण्डहर पडे घर में चोरी की हुई मोटरसाईकिल जला रहा है । सूचना पर तत्काल थाना बिनौली पुलिस मौके पर पहुंची तथा आग लगी मोटरसाईकिल को बुझाया



गया जिसको कब्जे में लेकर अभियुक्त रोजूद्दीन उर्फ रोजू पुत्र रहीसू निवासी ग्राम सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत को गिरफ्तार किया गया है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 349/25 धारा 317(2)/317(5)/326F बीएनएस पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रोजूद्दीन उर्फ रोजू पुत्र रहीसू निवासी ग्राम सिरसली थाना बिनौली जनपद बागपत

गिरफ्तार अभियुक्त रोजूद्दीन उर्फ रोजू का आपराधिक इतिहास -

- 1-मु0अ0सं0 60/2021 धारा 3/5/8 गौवध अधि0 थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।
- 2-मु0अ0सं0 62/2021 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना शाहपुर जनपद मुजफ्फरनगर।
- 3-मु0अ0सं0 167/2024 धारा 380/411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 4-मु0अ0सं0 168/2024 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व 414 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 5-मु0अ0सं0 138/2025 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 6-मु0अ0सं0 209/2025 धारा 115(2)/333/351(3)/352 BNS थाना बिनौली जनपद बागपत ।
- 7-मु0अ0सं0 349/25 धारा 317(2)/317(5)/326F BNS थाना बिनौली जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- चोरी की हुई मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नम्बर UP17V2718 चेचिस नम्बर MBLJAWI5ILGK32178 इंजन नं JA07ACLGK28387(मु0अ0सं0 620/25 धारा 303(2) बीएनएस थाना कोतवाली बागपत से सम्बन्धित)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 श्री संजीव कुमार थाना बिनौली जपनद बागपत ।
- 2-का0 892 तेजवीर सिंह थाना बिनौली जनपद बागपत ।

बागपत पुलिस

थाना कोतवाली बागपत



#MissionShakti 5
#MissionShaktiUPP

आज दिनांक 26.10.2025 को मिशन शक्ति अभियान 5.0 के अंतर्गत थाना कोतवाली बागपत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक दंपति श्रीमति काजल पत्नी अजय , अजय पुत्र बालेश निवासीगण नयागांव हमीदाबाद कस्बा बागपत थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के बीच चल रहे पारिवारिक विवाद को दृष्टिगत रखते हुए दोनों की काउंसलिंग कराई गई। दोनों पति-पत्नि की शांतिपूर्ण समझौता वार्ता कराई गई, जिसमें दोनों ने भविष्य में एक साथ मिलकर रहने व आपसी सम्मान बनाए रखने की सहमति दी। दोनों पति-पत्नि को सकुशल उनके घर रवाना किया गया।

